Ex.P-275

कथन – मनोज कुमार अग्रवाल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल
उम्र	–	43 वर्ष
पता	–	रानीसागर पारा, सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94252–50161
व्यवसाय	–	संचालक, मां लक्ष्मी राईस मिल, कुटेला. सारंगढ़ जिला रायगढ़ (छ0ग0)

——00——

मैं मनोज कुमार अग्रवाल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं मां लक्ष्मी राईस मिल, कुटेला, सारंगढ़ का संचालक हूं। मेरी राईस मिल की क्षमता 04 टन धान प्रति घंटे की है। मेरा मार्कफेड से 32 हजार क्विंटल वर्ष 2014–15 में अनुबंध है, पिछले वर्ष 2013–14 में 64 हजार क्विंटल धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध था। पिछले वर्ष 64 हजार क्विंटल धान के अनुबंध को पूरा नहीं पाया था इस कारण इस वर्ष 32 हजार क्विंटल चावल का अनुबंध किया हूं। मैं 15 लाख रूपये का ग्रामीण बैंक सारंगढ़ से लोन लिया था जिसे पूरा पटा चुका हूं। पिछले वर्ष एस.डब्ल्यू.सी. के गोदाम में जगह की कमी के कारण अनुबंध पूरा नहीं कर पाया था। मैं वर्ष 2014–15 का 30 लॉट चावल जमा कर चुका हूं। मेरे द्वारा नान में बिना परेशानी के चावल जमा करने हेतु 08रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से कलेक्शन की राशि जमा नान के अधिकारियों के पास किया जाता है। इस एवज में नान के अधिकारियों के द्वारा हमे गोदामों में स्पेश, क्वालिटी में समझौता तथा माल लोडिंग–अनलोडिंग के समय होने वाली परेशानियों से मुक्त रखा जाता है। अगर कोई राईस मिलर कलेक्शन का पैसा देने से इन्कार करता है तो नान के अधिकारियों के द्वारा उन राईस मिलरों के चावल को स्पेश ना होना, चावल की गुणवत्ता कम होना आदि कारण बता कर वापस कर दिया जाता है, जिससे राईस मिलर्स को नुकसान होता हैं। इस कारण हमें नान को कलेक्शन का पैसा देना पड़ता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ